सेवामें,

20.6.18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत एड सिणधरी में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड नोटिस तलबी दिनांक 10.5.2018 को जारी की गई थी। जो विप्रार्थीगण के नोटिस तामिली श्रेणी में है। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जात है। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत/कोर्ट केम्प–अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत एड सिणधरी)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 48/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
		1.लिखमाराम पुत्र भारमलराम
1.पुनमाराम पुत्र सांवलाराम		2.अर्जनराम पुत्र भैराराम
2.तीजों पत्नि सांवलाराम		3.उदाराम पुत्र भैराराम
3.केशाराम पुत्र चिमनाराम		4.कंवराराम
जाति रबारी		5.देवाराम
निवासी सणपा फांटा भोमजी		6.रामाराम पिसरान कलाराम
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		7.खेमाराम पुत्र जीवाराम
		8.मंगलाराम
		9.पूनमाराम
		10.बुधाराम पिसरान मानाराम
		11.जमना पत्नि मानाराम
		12.पुरखाराम पुत्र ईसराराम
		13.हेमाराम
		14.डालूराम
		15.पेमाराम पिसरान सोनाराम जाति जाट निवासी सणपा फांटा भोमजी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
		16.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री भंवरलाल सारण,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकरतफा।

आदेश

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

दिनांक–20.6.2018

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सणपा फांटा भोमजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 165 व 170 कुल रकबा 88–16 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सणपा फांटा भोमजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 165 व 170 कुल रकबा 88–16 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। लेकिन विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सणपा फांटा भोमजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 165 व 170 कुल रकबा 88–16 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम सणपा फांटा भोमजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 165 व 170 कुल रकबा 88–16 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावें।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम सणपा फांटा भोमजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 165 व 170 कुल रकबा 88–16 बीधा के प्रार्थीगण रिकार्डड खातेदार है। जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

, से 2074 से प्रमाणित होता है। इस कारण प्रार्थीगण काश्त की सुविधा हेतु अपनी ातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्राथीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस ील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नहीं होगीं। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम सणपा फांटा भोमजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 165 व 170 कुल रकबा 88–16 बीधा भूमि के सबंध में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही तहसीलरदार सिणधरी करावें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर सम्मा)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20/6/18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner